आवश्यक

संख्या: 31/2019/2398/12-2-2019

प्रेषक,

जी0 एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2019

विषय: प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना(पीएम-केएमवाई) लागू किए जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 25/2019/2348/12-2-2019 दिनांक 14 अगस्त, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) लागू किए जाने सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. चूंकि प्रश्नगत योजना मा0 प्रधान मंत्री जी की प्राथमिकता की योजनाओं में सम्मिलित है अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत योजना की प्रगति की अद्यावधिक स्थिति/निर्धारित किए गए जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति से अवगत कराते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सतत अनुश्रवण कराते हुए योजना की प्रगति का विवरण नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( जी0एस0 नवीन कुमार )
विशेष सचिव।

संख्या: 31/2019/2398(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, कानपुर नगर।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/समस्त जिला कृषि अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी/समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( जे0 पी0 सिंह )
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in